

प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 17.07.2024

सोशल मीडिया पर अवैध असलहा से फायर का प्रदर्शन करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बांसगांव के नेतृत्व में उ0नि0 आनन्द कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0180/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 286 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अनूप तिवारी उर्फ सिम्पल को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध असलहा से फायर का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनूप तिवारी उर्फ सिम्पल पुत्र हरिशंकर तिवारी निवासी ग्राम पाली झझवा टोला थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 180/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 286 भादवि थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आनन्द कुमार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 रंजीत पाण्डेय थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 राजेन्द्र कुमार थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
4. का0 कमलेश कुमार सिंह थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
5. का0 अजय कुमार मिश्रा थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर